भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4668

दिनांक 29.03.2023 को उत्तर देने के लिए

बीजीएमएल

†4668. श्री एस. मुनिस्वामी:

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोलार गोल्ड फील्ड्स (केजीएफ) में भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड (बीजीएमएल) कंपनी को 2001 में बंद कर दिया गया था और लगभग 3500 श्रमिकों को काम से हटा दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तब से 52 करोड़ रुपये का टर्मिनल समझौता लंबित है;

(घ) यदि हां, तो क्या 1000 से अधिक कर्मचारियों की मृत्यु उनके निपटान के बिना हुई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार के गैर-योजना व्यय से देय राशि का निपटान करना संभव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) बीजीएमएल ने एसटीबीपी श्रेणी के कर्मचारियों को लगभग 3000 घर बेचे थे और उन्हें टाइटल डीड नहीं दी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) क्या प्रधान मंत्री आवास योजना के माध्यम से किरायेदारों के रूप में रहने वाले कर्मचारियों की अन्य श्रेणियों को भी आवास आवंटित करना संभव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खान, कोयला एवं संसदीय कार्य मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (ग): जी हां। भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड (बीजीएमएल) खान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन 'सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम' औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) द्वारा दिनांक 12.06.2000 को बीजीएमएल के प्रचालन को आर्थिक रूप से अव्यवहार्य होने के कारण बंद करने के आदेश दिए जाने पर श्रम मंत्रालय के दिनांक 29.01.2001 के अनुसार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25 (ण) के तहत 01.03.2001 से बंद है । बंद होने के समय कंपनी के रोल पर सभी 3580 कर्मचारियों को विशेष सेवांत हितलाभ पैकेज (एसटीबीपी) देकर छंटनी की गई और कर्मचारियों के सभी बकायों का निपटान किया गया। अब कोई बकाया लंबित नहीं है।

(घ) से (च): उपर्युक्त उत्तर [(क) से (ग)] को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(छ): बीजीएमएल ने रियायती दर पर एसटीबीपी लाभ के घटकों में से एक के रूप में बीजीएमएल के 2809 छंटनी किए गए पूर्व कर्मचारियों को कार्य स्थलीय रिहायशी आवास क्षेत्र बेचा है और भवन/संरचना के लिए कोई राशि नहीं ली है। तथापि, कर्नाटक सरकार के भूमि अभिलेखों में बीजीएमएल के नाम पर जमीन का नामांतरण नहीं होने के कारण उन्हें टाइटल डीड नहीं दी जा सकीं। बीजीएमएल के नाम पर भूमि अभिलेखों का हस्तांतरण एसटीबीपी लाभार्थियों को आवंटित मकानों के पंजीकरण के लिए एक पूर्वापेक्षित आवश्यकता है। अब बीजीएमएल बहुत प्रयासों से बीजीएमएल के नाम पर लगभग 75% भूमि का हस्तांतरण कराने में सफल हुआ है। बीजीएमएल ने अब मकानों के पंजीकरण के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।

(ज): बीजीएमएल की सभी परिसंपत्तियां माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय की निगरानी में हैं। इस पर सरकार द्वारा ऐसी कोई कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती है।

****